आधार शक्तेः स्त्रोतः गंगेयम्

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश जनपद–देहरादून।

Office of Executive Engineer, Infrastructure (Rehab.) Division, Rishikesh, Dehradun

Fax/Tel. No. 0135-2450142 E-Mail : iandprishikesh@gmail.com

सेवा में,

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (सौंग बाँध पेयजल परियोजना)
कैम्प–26 ई0सी0 रोड, देहरादून।

पत्राकः– 622 /अ0(पु0)ख0ऋ0/सौं0बाँ0पे0परि0/ दिनांक 02/07/2020

विषयः– सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट व विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA रिपोर्ट पर अंकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि सौंग बाँध पेयजल परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अध्याय –2 की धारा 4 से धारा 7 तक के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 27/02/2020 को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट uk.gov.in पर अपलोड की जा चुकी है।

तत्पश्चात् उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1951(1)/II/(02)–2020–04(11)/2010 दिनांक 27/01/2020 द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन कर दिया गया है, जिसे दिनांक 26/04/2020 को उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट uk.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है।

उपरोक्त सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा जारी मूल्यांकन आख्या दिनांक 14/05/2020 को सचिव सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन को समुचित सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित की जा चुकी है। उक्त SIA रिपोर्ट तथा विशेषज्ञ समूह द्वारा जारी मूल्यांकन आख्या आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

सादर।

संलग्नकः– SIA रिपोर्ट (हार्डकॉपी)
विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन आख्या (छायाप्रति)

(आर0 के0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक– 622 /अ0(पु0)ख0ऋ0/सौं0बाँ0पे0परि0, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
3. अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/प्रशासक, सौंग बाँध पेयजल परियोजना।
4. उपजिलाधिकारी धनौल्टी/डोईवाला।

(आर0 के0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner